न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00040 दायरा दिनांक : 02.03.2020

उनवान

गोस्वामी हरिराय जी, गोविन्दराम जी राधाविलास, पाटनपोल, कोटा राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1— मंदिर श्री मथुरेश जी छोटा मथुरानाथ जी, कोटा
2— राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री लोकेश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या —1079/दावा/2015 (पूर्व मि0नं0 592/2012) निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर के माल में नयी खाता संख्या 367 पुरानी 336 के खसरा नम्बर 359 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा जुमला 2 किता की 28 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 से वाद वादी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि उक्त निर्णय में पत्रावली पर प्राप्त तथ्यों के अनुसार एवं निर्णय से प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया गया और आनन फानन में अपना निर्णय पारित कर दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया है कि अपीलांट सैटलमेंट से पूर्व बतौर खातेदार कृषक चला आ रहा था। लेकिन सैटलमेंट के अधिकारियों द्वारा अपीलांट का नाम खाते से हटा दिया गया है जबकि सैटलमेंट अधिकारियों को किसी भी प्रकार का खातेदारी में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उल्लेखित करते हुए अपना निर्णय पारित कर दिया कि वादी अपने वाद को साबित नहीं कर पाया तथा साबित करने में विफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार से अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया गया और न ही उक्त दावे में तनकी कायम की गई और न ही वादी प्रतिवादी की साक्ष्य ली गई। इस कारण उक्त वाद में जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 को निरस्त फरमाया जावे एवं वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ ऑर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी अपील की साक्ष्य में दस्तावेज सूची में सलंग्न दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है जो राजकीय दस्तावेज है इनकी सत्यता पर किसी भी प्रकार का सन्देह प्रकट नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व में प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं थे बाद में प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्राप्त किये हैं जो न्याय निर्णय में सहायक होने से रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दस्तावेज सूची में सलंग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि

अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 9 राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम तथा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध वाद संख्या 1079/2015 पूर्व वाद संख्या (592/2012 दिनांक 30.07.2012 को प्रस्तुत किया और वादी अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर के माल की खसरा नम्बर 359 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 किता की 28 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है, उक्त आराजी प्रारम्भ से रतन प्रभा बहूजी बेवा बल्लभलाल गोस्वामी, कोटा के खातेदारी में दर्ज रही है, जो तहसीलदार खानपुर द्वारा अवैध एवं त्रुटि पूर्ण इंतकाल नम्बर 213 द्वारा बिना किसी सूचना, सुनवायी व अधिकार के प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मन्दिर श्री मथुरेश जी छोटा मथुरानाथ जी कोटा के नाम दर्ज कर दी, जो गलत है। उक्त आराजी पर वादी का कब्जा होने व प्रतिवादी के नाम अवैधानिक दर्ज करने से वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर घोषणा की डिक्री चाही गई।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी के वाद पत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया गया तथा वादी के वाद पत्र को प्रतिवादीगण द्वारा डिक्री किये जाने का न्यायालय से अनुरोध किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवायी कर साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया, जिसकी अप्रसन्नता से अपीलान्ट की ओर यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध प्रकट नहीं कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इकबाली जवाबदावे को नजर अन्दाज कर दावा खारिज किया, जो अवैधानिक है। अपीलान्ट रतन प्रभा बहूजी बेवा बल्लभलाल गोस्वामी एक मात्र वारिस है, रतनप्रभा जी की मृत्यु दिनाक 12.08.2009 को हुई है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किया है जिससे अपीलान्ट एक मात्र रतन प्रभा जी का वारिस वादी है तथा आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

वर्णित आराजी माफी की आराजी है तथा कृषक के कॉलम में वादी का नाम दर्ज है। जो जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार वादी खातेदार माफी रिज्यूमशन के बाद से ही खातेदार हो गया और बहैसियत वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, वादी को बिना जानकारी, बिना सहमति के तथा बिना सूचना के वादी के स्थान पर प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के बाबत साक्ष्य दर्ज नहीं की और न ही वादी द्वारा आग्रह करने के बाद भी दस्तावेजों को प्रदर्श नहीं करवाया गया तथा पत्रावली पर कायम की गयी तनकीयात के संबंध में डिक्री में तनकीवाईज निर्णय नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री त्रुटि पूर्ण है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण नम्बर 213 द्वारा त्रुटि पूर्ण तरीके से हटाया गया है तथा राज्य सरकार के परिपत्र ग्रुप नम्बर 6 क्रमांक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 में जारी परिपत्र के पैरा नम्बर 5 में अंकित है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि यदि किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदा आदि के नाम से दर्ज थी उनमें से उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त सन्दर्भ में अनेक न्यायिक दृष्टान्तों व राज्य सरकार के परिपत्रों में जारी किया है। जिनका विपरीत अर्थ लगाकर दावा वादी खारिज फरमा दिया गया जो अवैध एवं त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा इंतकाल नम्बर 213 दिनांक 10.02.1980 का गलत अर्थ लगाकर दावा खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। इंतकाल नम्बर 213 को अपास्त मानते हुए सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति बहाल कर अपीलान्ट का उक्त परिस्थिति को बहाल करें एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने का आदेश प्रदान करें। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट द्वारा सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर, जिला झालावाड के समक्ष वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 209 एवं धारा–136 एल. आर. एक्ट का पेश करते समय कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है किन्तु अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. के तहत प्रार्थना–पत्र के साथ कुछ दस्तावेज पेश किए गए है, तथा उपरोक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने की प्रार्थना की गई है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र यदि कोस्ट पर लिए जाते हैं तो अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को उपरोक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु उपरोक्त दस्तावेजों पर अप्रार्थी रेस्पोडेंट को जिरह का अधिकार दिया जाने को आदेश पारित किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है ।

अपीलान्ट का अपील में दूसरा आधार यह है कि दस्तावेजों के बाबत साक्ष्य दर्ज नहीं की गई, न ही दस्तावेजों पर आग्रह के बाद प्रदर्श नहीं करवाया गया। यदि प्रदर्श डालने की अनुमति दी जाती है, तथा पुनः साक्ष्य की अनुमति दी जाती है, तो रेस्पोडेन्ट को उपरोक्त दस्तावेजातों एवं साक्ष्यों पर जिरह का पूर्ण अधिकार रेस्पोडेन्ट का रहता है, तथा उपरोक्त अधिकार सम्मानीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय रेस्पोडेन्ट को दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। अन्य मदे कानूनी है, जिनका निर्धारण एवं विवेचन सम्मानीय न्यायालय द्वारा स्वविवेक से किया जाना है।

यदि सम्मानीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेकर साक्ष्य ग्रहण करने का आदेश पारित किया जाता है, तो पत्रावली को सम्मानीय न्यायालय के समक्ष ही निरन्तर रूप से जारी रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर. टी. एक्ट सपठित धारा 136 आर. टी. एक्ट पर साक्ष्य हेतु सम्मानीय न्यायालय के समक्ष ही साक्ष्य ग्रहण करने एवं पत्रावली को सम्मानीय न्यायालय द्वारा ही निस्तारित करने का आदेश पारित किया जाना न्याय हित में नितान्त आवश्यक है, क्योंकि ट्रस्ट मंदिर छोटे मथुरानाथ जी रसिक शिरोमणी जी महाराज एक पंजीकृत ट्रस्ट है। जो कि धार्मिक कार्यों के लिए गठित किया गया है, जिसका खानपुर, झालावाड में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में काफी व्यय एवं समय जाया होता है, तथा उपरोक्त ट्रस्ट की आय काफी कम है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को खानपुर भेजे जाने से काफी व्यय होता है तथा खानपुर में रेस्पो० अप्रार्थी की ओर से मुकदमे की निगरानी रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः अप्रार्थी की ओर से सम्मानीय न्यायालय के अवलोकनार्थ लिखित बहस सादर पेश है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 209 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल. आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था।

अपीलार्थी द्वारा अपील से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज सहवन से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। हमने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। संवत 2021 की खेवट खतौनी में ग्राम गोलाना के विवादित खसरा नम्बरान पर रत्नप्रभा बहू जी बेवा बल्लभलाल गोस्वामी का दाखिल खारिज मंजूर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हुआ। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 किता की 28 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड रतनप्रभा बहू जी बेवा बल्लभलाल गोस्वामी के खाते सम्वत 2037–2040 में दर्ज थी। नामान्तरकरण नं. 213 दिनांक 10.02.1980 से खाते में मथुरेश जी मन्दिर श्री छोटा मथुराधीश जी कोटा का नाम जुड़ा व रतनप्रभा बहूजी बेवा बल्लभ लाल का नाम कृषक के तौर पर रहा। जमाबंदी सम्वत 2046–2049 में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में खातेदार रतनप्रभा बहू जी का नाम खाते से विलोपित किया गया। यदि अपीलांट 1980 के नामान्तरकरण से व्यथित थे तो तत्समय नामान्तरकरण की अपील पेश की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्र राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दिनांक 24.05.2007, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र दिनांक 24.05.2007, कमांक राज/4–63/न्याय/स्था/05 /636–689 दिनांक 06.01.2010 व राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 परिपत्र कमांक प.2(4)राज/4/90/37 दिनांक 13.12.1991, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक 3(2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 के अनुसार मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी में अन्य व्यक्ति का नाम अंकित करने का कहीं उल्लेख नहीं है। चूंकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग के हितों की रक्षा का दायित्व न्यायालय का भी है।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तथा अपील में अपने तथ्यों को सिद्ध करने में विफल रहने से अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

गोस्वामी हरिराय जी, गोविन्दराम जी राधाविलास, पाटनपोल, कोटा राजस्थान

बनाम

1– मंदिर श्री मथुरेश जी छोटा मथुरानाथ जी, कोटा

2– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर राजस्थान

.....अपीलान्ट्स

.....रेस्पोडेंटस

अपील नं. 2020/00040
(पूर्व मि0नं0 592/2012)
मु.द.नं0 1079/दावा/2015

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, खानपुर

निर्णय व डिक्री दिनांक – 26.12.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 08 माह 07 सन् 2024

हाजरी **श्री घनश्याम नागर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री लोकेश नन्दवाना** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 07 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी) 19/7/2024
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)